

>

Title: Introduction of the Supreme Court and the Highs Courts (Use of Official Language and Other Provisions) Bill, 2019.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषा का प्रयोग तथा कतिपय अन्य उपबंधों और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषा का प्रयोग तथा कतिपय अन्य उपबंधों और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अजय मिश्र टेनी: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

16.45 hrs